न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग / 3141 / II / 15

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी

श्री प्रदीप श्रीवास्तव एडवो. द्वारा आज दि. 17-9-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. गोकुल पुत्र पुनुवा धोबी आयु 60 वर्ष व्यवसाय मजदूरी निवासी वार्ड नं. 3 पठारीकलां तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. आनंदी पुत्र पुनुवा धोबी आयु 55 वर्ष व्यवसाय नौकरी निवासी वार्ड नं. 3 पठारीकलां तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता

प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र मुलुवा अहिरवार निवासी पठारीकलां तहसील बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

.... गैर निगरानीकर्तागण

"निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 8.9.15 जिसे अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर ने अपने यहां के प्र.क्र. 70/अपील/2014–15 में पारित किया जिसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा अवधि विधान अधिनियम स्वीकार किया।"

महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 (प्यारेलाल) ने अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के समक्ष तहसीलदार तहसील बिजावर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अ–70/12–13 में पारित आदेश दिनांक 16.09.2013 के विरुद्ध दिनांक 30.09.2014 को धारा 5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3141-II/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-15	मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया। इससे स्पष्ट है कि SDO, बिजावर ने अपने आक्षेपित आदेश दि. 8-9-15 से बोलते स्वरूप में, परिस्थितियों और कारणों का विवरण लिख आधार लेते हुए, विलम्ब माफ कर प्रकरण में गुणदोष पर विचार करने का निर्णय लिया है, जो न्यायहित में होना ही प्रतीत होता है। वैसे भी SDO के इस आदेश से किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित अनुचित रूप से प्रभावित हो गए हों या प्रभावित होने संभावित हो गए हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। इस आदेश के बाद भी इसके पक्ष को पक्षसमर्थन करने के लिए SDO के समक्ष अवसर उपलब्ध रहता है। अतः मैं आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी आवेदन अग्राह्य करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त दा. द. हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.